17/9/25 वकीलान उप. / वादी वकील द्वारा निवेदन
किया कि पक्षकारों का आपस में राजीनामा
हो गया है। जिससे वाद पत्र का आगे
नहीं चलाना चाहते है। जिससे वाद-पत्र
को नोट-प्रेस में खारिज करने का निवेदन
N.o.k.Pms किया। हमने वकील वादी को सुना तथा
पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादपत्र
[illegible] 17/9/25 में पक्षकारों का राजीनामा होने से इस पत्रावली
को आगे चलाया जाना उचित नहीं समझते
है। जिस स्थल में वादी का वाद नोट-
प्रेस ~~[illegible]~~ खारिज किया जाता है। पत्रावली
~~जैसा के अनुसार~~ जैसा नक्शा से कम होवाद
प्रति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]रोड (कोटपूतली-बहरोड)